नकल सवाल संख्या 486/16 – 11 ... – 590

166

न्यायालय परगनाधिकारी मोदीनगर

वाद संख्या 67/11 धारा – 143 उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0अधिनियम

ग्राम मौ0पुर कदीम परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर जिला गा0बाद

श्री जगननाथजी एजूकेशनल ट्रस्ट बनाम सरकार

नकल निर्णय दि0 – 19/9/11

प्रस्तुत वाद श्री जगननाथजी एजूकेशनल ट्रस्ट, ग्राम मौहम्मदपुर कदीम निकट सीकरी कलॉं द्वारा देवराज शर्मा पुत्र श्री शिवओम शर्मा निवासी ग्राम सीकरी कलॉं तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद के प्रार्थना–पत्र पर तहसीलदार, मोदीनगर की आख्या दिनांक 03–09–2011 के आधार पर योजित किया गया तहसीलदार, मोदीनगर द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या में अवगत कराया गया है कि ग्राम मौहम्मदपुर कदीम तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद स्थित भूमि खाता संख्या 16 खसरा संख्या 453मि0 रकबा 0.1656है0 व खाता संख्या 260 खसरा संख्या 454मि0 में शेष कुल भूमि रकबा 0.4350 है0 कुल नम्बर 2 कुल रकबा 0.6006 है0 है। उपरोक्त भूमि में कृषि कार्य, बागवानी, मत्स्यपालन का कार्य नहीं हो रहा है, मौके पर भूमि खाली है, एक कमरा व अन्य निर्माण बना है। किसी न्यायालय में कोई विवाद नहीं है, भूमि ग्रीन बैल्ट में नहीं है, अतः धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

न्यायालय परगनाधिकारी मोदीनगर के वाद संख्या 41/2010 दिनांक 25.09. 2010 के अनुसार ग्राम मौहम्मदपुर कदीम तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद में स्थित भूमि के खाता संख्या 235 खसरा संख्या 454मि0 रकबा 0.1925है0 व खाता संख्या 276 खसरा संख्या 454मि0 रकबा 0.2877 है0 कुल नम्बर 2 रकबा 0.4802 है0 है। उपरोक्त भूमि का पूर्व में 09.05.2010 तहसीलदार मोदीनगर की आख्या पर न्यायालय परगनाधिकारी मोदीनगर द्वारा दिनॉक 25.05.2010 को धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि किये जाने की संस्तुति की हुई है। तहसीलदार मोदीनगर की आख्या 09.05.2010 की आख्या इस आदेश का अंग रहेगी।

वादग्रस्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने के सम्बन्ध में ग्रामसभा/उत्तर प्रदेश सरकार एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को नियामानुसार नोटिस जारी किया गया, जो बाद तामील शामिल मिसल किये गये गा0बाद विकास प्राधिकरण की ओर से इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गयी कि वादग्रस्त भूमि गा0बाद विकास प्राधिकरण के विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत पडती है, प्राधिकरण के क्षेत्राधिकारी में आने वाली भूमि के भूउपयोग परिवर्तन करने से मलिन बस्ती को बढावा मिलेगा तथा विकास कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा, अतः में प्रार्थना–पत्र के आधार प[illegible] प्रार्थना–पत्र खण्डित करने का अनुरोध किया गया है।

वादी की व्यक्तिगत सुनवाई की गयी तथा पत्रावली का भलीभॉति [illegible] किया गया। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में शपथ–पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी से कोई वाद नहीं है व न ही किसी से कोई झगडा है, अतः भूमि को अकृषिक घोषित किया जाय। पत्रावली का अवलोकन व परिशीलन करने के उपरान्त न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि संदर्भित भूमि का उपयोग कृषि कार्य के रूप में नही हो रहा है, इसलिए संदर्भित भूमि को उ0प्र0ज0वि0 एवं भ0व्य0अधि0 की धारा 143 के तहत अकृषिक भूमि घोषित

त्य प्रतिलिपि

Scanned with CamScanner

पत्र संख्या 15286 दिनांक 25.09.2007 के पैरा–4 मे निदेश इस आशय के दिय गये है कि जनपद की सीमा से लगे क्षेत्रों में हो रहे शहरीकरण को दृष्टिगत रखते हुए बिल्डर्स डवलपर्स आदि द्वारा क्रय की जा रही भूमि का सर्वे कराते हुए उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एव भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत आबादी घोषित किये जाने की कार्यवाही अभियान चलाकर की जाए। उक्त आदेशों के परिपेक्ष्य में भी वादग्रस्त भूमि को अकृषिक घोषित किय जाने की आवश्यकता है। 159

शासनादेश संख्या 6416/जी05–22ए दिनांक 02.08.2007 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि संकमणीय भूमिधर वाला अपने खाते या उसके भाग को कृषि उद्यानकरण अथवा पशुपालन जिसके अंतर्गत कुक्कुट पालन भी है से असम्बद्ध प्रयोजन के निमित्त करता है तो परगने का इंचाई असि0 कलेक्टर स्वमेव अथवा प्रार्थना–पत्र पर जांच कर प्रख्यापन कर सकते है। इस सम्बन्ध में उ0 प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0 19502 की धारा 143 में प्राविधान है कि प्रख्यापन आदेश की एक प्रति उप निबंधक को भेजी जाए जिससे वह इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्त 1908 में किसी बात के रहते हुए उसे बिना शुल्क और नियत रीति से निबन्धित कर लेगा। निर्देशित किया गया है कि प्रख्यापन कर स्टाम्प के रूप में राजस्व का अपवचंन रोका जाए। अतः राजस्व हित में इसे गैर कृषिक प्रयोजनार्थ भूमि घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम मौहम्मदपुर कदीम तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद स्थित भूमि खाता संख्या 16 खसरा संख्या 453मि0 रकबा 0.1656है0 व खाता संख्या 260 खसरा नम्बर 454मि0 रकबा 0.4350 है0 कुल नम्बर 2 कुल रकबा 0.6006 है0, खाता संख्या 235 खसरा 454मि0 रकबा 0.1925 है0 व खाता संख्या 276 खसरा संख्या 454मि0 रकबा 2877 है0 कुल नम्बर 2 रकबा 0.4802 है0 है। जोकि श्री जगननाथ जी एजूकेशनल ट्रस्ट ग्राम मौहम्मदपुर कदीम निकट सीकरी कलॉ के द्वारा देवराज शर्मा पुत्र श्री शिवओम शर्मा निवासी ग्राम सीकरी कलॉ तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद नाम दर्ज है, को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है तहसीलदार मोदीनगर की आख्या दिनांक 09.05.2010 एवं 03.09.2011 इस आदेश का अंग रहेगी। वादी उक्त भूमि में भविष्य में जोकि अन्य कार्य करेगे निर्माण से पूर्व स्थानीय निकाय/ सक्षम अधिकारी से आवश्यक औपचारिकताऍं पूर्ण कराने के उपरान्त करेगे। इस आदेश की एक प्रमाणित कॉपी तहसीलदार मोदीनगर को माल कागजात में इन्द्राज हेतू एवं उप निबन्धक मोदीनगर को उ0प्र0ज0वि0अ0 एवं0 भू0व्य0अधि0 की धारा 143 के तहत सह पठित नियम 137 में अपेक्षा के अनुरूप इण्डियन रस्टि्शसन एक्ट 1908 के तहत निबन्धन हेतू इस आशय से भेजी जाय कि वह अपना अनुलेख लिपिबद्ध करने के उपरान्त कि यथावत नियमित (दैनिक पंजिका) में कर दिया गया है। जिस पर उपनिबन्धक के हस्ताक्षर होगे न्यायालय को लौटा दे इस न्यायालय की वाद पत्रावली बाद आश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में संचित की जाय।

(विजेन्द्र सिंह) 19/9/11
परगनाधिकारी
मोदीनगर।

सत्य प्रतिलिपि

आज यह आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

21/9/2011
S.D.O./S.D.M.
मोदीनगर

(विजेन्द्र सिंह)
परगनाधिकारी 19/9/11
मोदीनगर।

Scanned with CamScanner